उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या: 250/ XXIII/2018/04(01)/2018
देहरादून: दिनॉक: 19 मार्च, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 40 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में विद्यमान नियमों/आदेशों को अधिक्रमित करके उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एव बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

मदिरा दुकानों से कुल राजस्व का निर्धारण 2. जिलेवार दुकानों के व्यवस्थापन हेतु निम्न प्रकार राजस्व को निर्धारित किया जाता है :–

क्र0सं0	जिले का नाम	निर्धारित राजस्व (करोड़ रूपये में)
1	नैनीताल	224
2	उधमसिंहनगर	173
3	अल्मोड़ा	92
4	बागेश्वर	34
5	चम्पावत	44
6	पिथौरागढ़	57
7	हरिद्वार	310
8	देहरादून	437
9	टिहरी	68
10	पौड़ी	86
11	उत्तरकाशी	34
12	रूद्रप्रयाग	32
13	चमोली	51

उपरोक्त तालिका में वर्णित राजस्व सम्पूर्ण जिलों हेतु दुकानों के व्यवस्थापन का राजस्व होगा। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समूह/दुकानवार राजस्व का निर्धारण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार मदिरा की दुकानों के निर्धारित राजस्व में ही जिलों में नई दुकानों का सृजन भी किया जा सकेगा।

मदिरा दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारण 3.

वर्ष 2018–19 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियम 1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के कमशः 8 व 1 प्रतिशत के बराबर निकटतम रूपये 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी। रूपये 25 लाख से अधिक लाईसेन्स फीस होने की स्थिति में रू0 25 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2018 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी।

मदिरा दुकानों की न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण 4.

उपरोक्त नियम 1 के अन्तर्गत दुकानवार निर्धारित कुल राजस्व में से नियम 2 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी निर्धारित की जायेगी। निकासी हेतु वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के सापेक्ष देशी मदिरा प्रति

बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा प्रति बोतल के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विपरीत फुटकर दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

मदिरा के अतिरिक्त उठान पर देय शुल्क 5.

देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय नियत न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी राशि से अधिक अतिरिक्त मदिरा के उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) का 60 प्रतिशत एम0जी0डी0 देय होगी।

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन 6.

(एक) वित्तीय वर्ष में मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन राज्य में एकल दुकान/दुकानों का समूह बनाकर आवंटन की व्यवस्था की जाती है। समूह में मदिरा दुकानों का विवरण निम्न प्रकार रहेगा:—

(1) एक समूह में अधिकतम चार मदिरा की दुकानें हो सकेंगी।

(2) देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों का समूह अलग—अलग बनाया जायेगा। एक समूह में एक ही प्रकार की दुकानें होंगी।

(3) एक समूह की मदिरा की दुकानों में मदिरा का कोटा आपस में अनुरित किया जा सकेगा।

(4) एक समूह में अधिकतम 20 कि0मी0 दूरी (हवाई दूरी/Arial Distance) तक की ही दुकाने रखी जा सकेंगी।

(5) यदि 20 कि0मी0 की दूरी में अन्य दुकान/दुकानें स्थित हों, तो प्रत्येक जिले में राजस्व के आधार पर उच्चतम राजस्व की 25 प्रतिशत दुकानों को अनिवार्य रूप से समूह में रखा जायेगा,

(6) किसी भी दुकान के सन्निकट दुकान को छोड़ते हुए अन्य दुकान को समूह में नहीं रखा जायेगा। यहाँ ऐसी दूरी पहुँच मार्ग से मापी जायेगी।

समूह/एकल दुकान हेतु पात्रता नियम 17 के समान रहेगी। किसी समूह विशेष के लिए धरोहर धनराशि, हैसियत इत्यादि के आकलन हेतु उक्त समूह में स्थित समस्त दुकानों के राजस्व को जोडकर धनराशि निर्धारित की जायेगी।

जिला आबकारी अधिकारी समूह में रखी जाने वाली दुकानों के राजस्व का निर्धारण कर सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। किसी आवेदक को जिले में केवल एक समूह या एकल दुकान ही आवंटित की जा सकेगी। यह भी प्रतिबन्ध है कि किसी आवेदक को जिले में एक समूह/एकल दुकान का आवंटित हो जाती है, तो वह व्यक्ति जिले की अन्य मदिरा की दुकान के लिए पात्र नहीं होगा।

दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्तानुसार समूह अथवा एकल दुकानों हेतु न्यूनतम राजस्व निर्धारित किया जायेगा। उक्त निर्धारित न्यूनतम राजस्व के सापेक्ष समूह अथवा एकल दुकान हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव आमन्त्रित किये जायेंगे। न्यूनतम राजस्व से अधिक, अधिकतम राजस्व प्रस्तावक के पक्ष में दुकान/समूह को आवंटित कर दिया जायेगा।

यदि दो व्यक्तियों का प्रस्ताव एक समान है, तो दोनों के मध्य लॉटरी के द्वारा दुकान का आवंटन कराया जायेगा। किसी आवेदक को समूह/एकल दुकान आवंटित हो जाने पर अन्य दुकान/समूह हेतु उसके द्वारा दिये गया प्रस्ताव स्वतः निरस्त माना जायेगा।

प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ विदेशी मदिरा की दुकान हेतु रू0 25,000/— एवं देशी मदिरा की दुकान हेतु रू0 22,000/— की फीस प्रकिया शुल्क के रूप में ली जाएगी। उक्त आवेदन शुल्क अप्रतिदेय होगी। उक्त निर्धारित फीस उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी अधिसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोऑपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा की जाएगी।

परन्तु यह कि जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्ररूप में नहीं होंगे तथा जिनके साथ प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा।

परन्तु यह और कि मदिरा दुकान/समूह हेतु जिले के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट का विवरण निम्नवत होगा:—

(एक) एकल दुकान/दुकानों का समूह—समूह के राजस्व का 01 (एक) प्रतिशत।

(दो) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार दो चरणों में भी यदि दुकान/समूह व्यवस्थापित नहीं हो पाती है, तो पात्रता की अन्य शर्तें समान रहते हुये भारत वर्ष के निवासी दुकान/समूह हेतु पात्र माने जायेगें।

यदि तृतीय चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर समूह/दुकान लेने के लिये आवेदन करता है,तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान/समूह का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि वित्तीय वर्ष 2018—19 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है, तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात दैनिक आधार पर ही चलायी जायेगी।

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/समूह अव्यवस्थापित रह जाती है, तो उसके व्यवस्थापन के लिए यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो, तो शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर प्रस्ताव मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर वार्ता के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व प्रस्ताव पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

राज्य में बीयर की दुकानों का सृजन व व्यवस्थापन 7.

राज्य मे बीयर की समस्त दुकानों का व्यवस्थापन जिले में बनाये जाने वाले समूह अथवा निकटवर्ती दुकान के साथ बीयर की दुकानों को सम्मिलित करके किया जायेगा। राज्य में बीयर की समस्त दुकानों पर बीयर के अतिरिक्त वाईन तथा आर0टी0डी0 की बिक्री सील्ड बोतलों में अनुमन्य होगी। राज्य में बीयर की समस्त दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क रू0 2.50 लाखप्रति दुकान नियत किया जाता है।

राज्य में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा/वाईन की बिक्री— 8.

राज्य में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा की रु0 400 प्रति बोतल ई0डी0पी0 से अधिक ई0डी0पी0 की बोतलों/समुद्रपारीय आयातित बीयर/समुद्रपारीय आयातित वाईनएवं भारत मे बनी वाईन की बिक्री करने की अनुमति दी जायेगी तथा इनका अनुज्ञापन शुल्करू0 3.00 लाख प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिए नियत होगा। मॉल/डिपार्टमेन्टल स्टोर को निम्न एम0जी0डी0 दर पर एफ0एल0—2 से मदिरा का उठान करना होगा, किसी **मॉल में** अधिकतम 3 दुकान तक खोलने पर विचार किया जायेगाः—

क्र०सं०	**एक्स आसवनी का मूल्य**	**एम0जी0डी0 की दर प्रति बोतल**
1	400से अधिक	रू0 522/—

समुद्रपारीय आयातित बीयर/वाईन पर शुल्क एफ0एल0—5 डी के समान देय होंगे।

डिपार्टमेन्टल स्टोर में निर्गत अथवा नवीनीकृत किये जाने वाले अनुज्ञापनों हेतु सम्बन्धित स्टोर में मदिरा के अतिरिक्त अन्य पदार्थो(उत्पाद)की बिकी की न्यूनतम सीमा रू0 5 करोड़ (पाँच करोड) निर्धारित की जाती है, अर्थात् डिपार्टमेन्टल स्टोर में नया अनुज्ञापन या पुराने अनुज्ञापन का नवीनीकरण तभी किया जायेगा जब वह सम्बन्धित विभाग से प्रदत्त् प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0 सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करेगा कि उसका गत् वित्तीयवर्ष में अथवा आवेदन करने की तिथि तक वित्तीय वर्ष में मदिरा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों (उत्पाद)की बिकी का न्यूनतम टर्नओवर रू0 5 करोड़ (पाँच करोड) रहा है।

देशी मदिरा दुकानों में बीयर की बिकी 9.

राज्य में देशी मदिरा की दुकानो में बीयर बिकी की अनुमति दी जायेगी इस हेतु अनुज्ञापन शुल्क रू0 2.50 लाख प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिए नियत किया जायेगा।

मसालेदार शराब की आपूर्ति 10. देशी मदिरा दुकानों में 36 प्रतिशत v/vमसालेदार शराब या 25 प्रतिशत v/vकी मसालेदार शराब की आपूर्ति की जायेगी।

मदिरा दुकानों की बिक्री की समय अवधि 11.

राज्य में देशी/विदेशी/बीयॅर की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10:00 से रात्रि 10:00 बजे तक होगा, परन्तु यह कि जिला हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर की सीमाओं में स्थित ऐसी मदिरा की दुकाने, जो दूसरे राज्य की सीमा से 10 कि0मी0 के भीतर अवस्थित हों, के बन्द होने का समय रात्रि 11:00 बजे तक होगा।

अग्रिम जमा प्रत्याभूति का समायोजन 12.

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम रूप में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहों में अनुज्ञापी की देयताओं के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

विदेशी मदिरा फुटकर दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था 13

विदेशी मदिरा फुटकर दुकान पर निर्धारित शर्तो के अधीन एफ०एल०—5 डी० लाईसेंसी द्वारा दुकान की चौहद्दी से लगे परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था हेतु सुविधानुसार एफ०एल०—5 ई० लाईसेंस लिया जायेगा। एफ०एल०—5 ई० की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 40 प्रतिशत के बराबर होगी।

मदिरा के अवशेष स्टॉक का निस्तारण 14

वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि पर मदिरा की फुटकर दुकानों पर अवशेष स्टॉक का अन्तरण आपसी सहमति के आधार पर नये अनुज्ञापी को अन्तरित किया जा सकता है।

परन्तु यह कि नया अनुज्ञापी देय एम0जी0डी0/अन्य राजस्व जमा करना होगा, जो माह में तय एम0एम0जी0डी0 में सम्मिलित होगा, यदि नया अनुज्ञापी अवशेष स्टॉक को अन्तरित नहीं करना चाहता है, तो अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरावबीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 के अनुसार किया जायेगा।

जिलों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नई दुकानें 15

किसी जिले के जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगें।

परन्तु यह कि नई दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान खोलने के प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

फुटकर दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं समय–समय पर शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा जारी नियम/निर्देशों के अनुसार रखी जायेगी। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–12164–12166 ऑफ 2016 "स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम के0 बालू एण्ड ए0एन0आर0" मे दिनॉक 15.12.2016 एवं 31.03.2017, एस0एल0पी0 सिविल संख्या– 10243 ऑफ 2017 Arrive Safe Society of Chandigarh Verses The Union Territory of Chandigarh & ANRमें पारित निर्णय दिनांक: 11.07.2017 तथा M.A. Nos. 470-472/2017/in Civil Appeal No (s). 12164-12166/2016/State Of Tamil Nadu & Others Vs K. Balu & Others/dt.11.08.2017 में पारित निर्णय के आलोक मे दुकानों की स्थिति निर्धारित की जायेगी। यहाँ हरिद्वार तथा ऋषिकेश नगर निगम/नगर निकायों के पुर्नसीमांकन के फलस्वरूप उक्त नगरों में मद्यनिषेध क्षेत्र पूर्व में निर्धारित नगर निगम/नगर निकाय की सीमा के अनुसार ही रहेगा।

किसी मदिरा दुकान को बन्द/स्थानान्तरित करना 16

(1) जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को जिले की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।

परन्तु यह कि ऐसा करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम हो और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित हो।

(2) यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियम संगत रूप सेआबकारी अधिनियम तथा मदिरा दुकानों की संख्या व स्थित नियमावली, 1968 व तत्सम्बन्ध में जारी शासनादेशों के अन्तर्गत स्थानानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से निर्णय ले सकेंगे

परन्तु यह कि ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित क्षेत्र नहीं होने दिया जायेगा।

पात्रता 17

देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों/समूह के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें अग्रलिखित शर्तों के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 के अनुरूप होंगी। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ मात्र व्यक्तिगत पहचान हेतु प्रपत्र व अर्नेस्ट मनी के ड्राफ्ट/विवरण लगाना होगा, आवेदक के व्यक्तिगत पहचान हेतु कमशः– 1. पासपोर्ट, 2. स्थायी आयकर लेखा (PAN) संख्या, 3. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र, 4. ड्राइंविग लाईसेंस, 5. फोटो युक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका एवं 6. आधार कार्ड के दस्तावेज मान्य होंगे।

आवेदन सम्बन्धी अन्य प्रपत्र देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकान एवं समूह के आवंटन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि किसी अनुज्ञापी द्वारा अन्य प्रपत्र 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत नहीं किये जाते है,तो इस दशा में अनुज्ञापी को आवंटित देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान/समूह हेतु मदिरा की आपूर्ति रोक दी जायेगी तथा दुकान/समूह का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम पर उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी

मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये समस्त राजस्व को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर सम्बन्धित दुकान/समूह का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

अनुज्ञापी द्वारा निम्न प्रमाण पत्रों की प्रति मदिरा दुकान/समूहआवंटन के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

होगाः—

(एक) आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र।

(दो) वांछित हैसियत प्रमाण पत्र।

परन्तु यह किः—

(1) हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0 स्वीकार की जा सकेगी।

(2) यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

(3)हैसियत प्रमाणपत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

(तीन) आवेदक का जिले का स्थायी निवास प्रमाण पत्र

(चार) आवेदक को आवेदन पत्र में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, परन्तु यह कि यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं हो तो उसे निर्धारित समय के भीतर पैन नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आवेदक को दुकान आवंटन के 30 दिनों के अन्दर वाणिज्य कर विभाग में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

यदि आवेदक अनुज्ञापी के रूप में चयनित होता है तो उसे मदिरा दुकान/समूह का अनुज्ञापन शुल्क नियम—**3** के अनुसार तत्काल जमा करना होगा एवं प्रतिभूति की धनराशि जो कि एक माह के न्यूनतम प्रत्याभति धनराशि के बराबर हो को सात दिवस के भीतर एवं एक माह के बराबर नकद अथवा बैंक गारण्टी की धनराशि तीस दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। द्वितीय प्रतिभूति मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन के 30 (तीस) दिवस के भीतर जमा न करने की स्थिति में दुकान/समूह की मदिरा की आपूर्ति रोक दी जायेगी तथा दुकान का निरस्तीकरण कर पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।

देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दरें 18

(एक)देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क देय नहीं होगा तथा विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार होगीः—

(क) विदेशी मदिरा की भरी बोतलों के मामले में उत्पाद शुल्क की दर ई0डी0पी0 वार निम्नवत होगीः—

क्र0 सं0	**एक्सआसवनी मूल्य (प्रति बोतल)**	**उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0 (रू0 में)**
1	रू0 40.00 तक	204
2	रू0 40.01 से रू0 55.00 तक	222
3	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	252
4	रू0 75.01 से रू0 95.00 तक	324
5	रू0 95.01 से रू0 200.00 तक	396
6	रू0 200.01 से रू0 300.00 तक	480
7	रू0 300.01 से रू0 400.00 तक	588
8	रू0 400.01 से अधिक	714

(ख) अन्य मामलों में विदेशी मदिरा की उत्पाद शुल्क की दर रू0 **216**/–प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी।

(दो) 5 प्रतिशत तक एल्कोहल तीव्रता की बीयर (Mild Beer) पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 **36**/– प्रति बल्क लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल तीव्रता की बीयर (Strong Beer) एवं वाईन पर रू0 **60**/– प्रति बल्क लीटर होगी।

देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना 19

(एक) देशी मदिरा की 36% v/v पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी रू0 265/– प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित की जायेगीतथा 25% v/v पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी समानुपातिक आधार पर वसूल की जायेगी।

(दो) विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्नवत निर्धारित की जाती हैं :–

क्र0सं0	एक्सआसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	एम0जी0डी0 (प्रति बोतल) (रू0 में)
1.	रू0 40.00 तक	158
2.	रू0 40.01 से रू0 55.00 तक	168
3.	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	184
4.	रू0 75.01 से रू0 95.00 तक	211
5.	रू0 95.01 से रू0 200.00 तक	248
6.	रू0 200.01 से रू0 300.00 तक	272
7.	रू0 300.01 से रू0 400.00 तक	306
8.	रू0 400.01 से अधिक	348

(तीन) अद्धा तथा पौव्वा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः रू0 10/– तथा रू0 20/– की सीमान्तर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड की बोतल, अद्धा एवं पौव्वा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर समान रखी जायेगी। 180 एम0एल0 से नीचे की धारिता की गणना पौव्वे पर आधारित होगी।

सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन शुल्क, उत्पाद तथा मूल्याकंन शुल्क (असेसमेन्ट फीस) की दरें 20.

(एक) एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए रू0 25000/– लाईसेंस फीस निर्धारित की जायेगी।

(दो) उत्पाद शुल्क की दर निम्न प्रकार होगीः–

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम को छोड़कर) विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल) पर निर्धारित की जायेगीः–

क्र0 सं0	ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0(रू0 में)
1	रू0 40.00 तक	204
2	रू0 40.01 से रू0 55.00 तक	222
3	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	252
4	रू0 75.01 से रू0 95.00 तक	324
5	रू0 95.01 से रू0 200.00 तक	396
6	रू0 200.01 से रू0 300.00 तक	480
7	रू0 300.01 से रू0 400.00 तक	588
8	रू0 400.01 से अधिक	714

(ब)रियायती रम रू0 72.00 प्रति ए0एल0।
(स)बीयर/ब्रीजर एवं वाईन एफ0एल0–9 के अन्तर्गत एफ0एल0–5डी/5बी के समान अभिकर की दर पर देय होगी।
(तीन) असेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र०सं०	**मदिरा का प्रकार**	**मूल्यांकन शुल्क (असेसमेन्ट फीस) (प्रति बोतल)**
(1)	विदेशी मदिरा (रम, बीयर को छोड़कर) ई0डी0पी0 रू0 95 तक ई0डी0पी0 रू0 95 से अधिक	 रू0 110.00 रू0 165.00
(2)	रियायती रम	रू0 66.00
(3)	बीयर/वाईन/ब्रीजर	एफ0एल0–5डी के समान दर।
(4)	भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों हेतु असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल) दरें निम्न प्रकार होंगीः– विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर) ई0डी0पी0 रू0 105 तक ई0डी0पी0 रू0 105 से अधिक रियायती रम बीयर/वाईन/ब्रीजर	 रू0 90.00 रू0 145.00 रू0 51.00 एफ0एल0–5डी के दर से 10 रु0 (प्रति पेटी) कम।

राज्य में स्थित समस्त अर्द्धसैनिक बलों मे कार्यरत/भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों को अनुज्ञापन एफ0एल0–9/9ए की सुविधा अनुमन्य होगी।

बीयर/ब्रीजर एवं वाईन एफ0एल0–9 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–5डी/5बी के समान अभिकर के दर पर देय होगी।

ड्राउट बीयर की अनुमति बारों/सैन्य केन्टीनों में पूर्ववत दी जा सकेगी।इसके अतिरिक्त सी0एस0डी0 के माध्यम से सैन्य कैन्टीनों द्वारा 500एम0एल0 धारिता में केन बीयर की बिक्री की जा सकेगी।

मदिरा का विक्रय मूल्य 21.

वित्तीय वर्ष में मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात् निर्धारित किया जायेगा।

(एक)प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा की बिक्री पर विक्रेता द्वारा क्रेता को कम्प्यूटर जनित रसीद दी जायेगी एवं दुकानों में स्वैप मशीन रखना भी आवश्यक होगा।

(दो)उन आपूर्तिकर्ता कम्पनियों जिनके द्वारा दिल्ली राज्य में आपूर्ति की जा रही है, वही ब्राण्ड उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य होंगे, जिनकी बिक्री दिल्ली राज्य में की जा रही हो। उनकी ई0 डी0 पी0 दिल्ली राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से अधिक नहीं रखी जा सकेगी।

परन्तु यह कि ऐसे ब्राण्ड जिनकी ई0डी0पी0 दिल्ली में बिक्री किये जा रहे समतुल्य ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से कम अथवासमान होगी, की उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी। आपूर्तिकर्ता ब्राण्ड की दिल्ली राजधानी क्षेत्र में ब्राण्ड की ई0डी0पी0 वर्ष के दौरान बढ़ने पर उत्तराखण्ड राज्य में भी ई0डी0पी0 बढ़ाकर फुटकर मूल्य निर्धारण की अनुमति दी जायेगी परन्तु ऐसा वर्ष में एक बार ही किया जा सकेगा। समतुल्य ब्राण्डस का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त किया जायेगा।
समतुल्य को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जायेगा।
जो कम्पनी दिल्ली राज्य में अपने ब्राण्ड बेच रही हैं उसके उन सभी ब्राण्डों की ई0डी0पी0 का निर्धारण दिल्ली राज्य में निर्धारित की गयी ई0डी0पी के बराबर अथवा उससे कम रखने पर अनुमोदित की जायेगीं, एवम् कम्पनी के वे ब्राण्ड जो दिल्ली राज्य में नहीं बेचे जा रहे हैं, परन्तु

उत्तराखण्ड राज्य में बेचे जा रहे है, उनकी ई0डी0पी0 का निर्धारण अन्य राज्यों से तुलना करने के पश्चात् किया जायेगा। यदि अन्य राज्य में भी प्रस्तुत ब्राण्डों की बिकी नहीं की जा रही हैं तो कम्पनी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा, कि ऐसे ब्राण्ड जो केवल उत्तराखण्ड में बेचे जा रहे है, यदि उनको अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेगी।उत्तराखण्ड राज्य में बेचे जाने वाले प्रत्येक ब्राण्ड की तुलना दिल्ली राज्य अथवा अन्य राज्यों में बेचे जा रहे ब्राण्ड के मूल नाम से की जायेगी।

उदाहरणार्थः– यदि दिल्ली राज्य में कोई ब्राण्ड ''XXXClassic whisky''के नाम से बेचा जा रहा है, तो उसका मूल नाम ''XXX''माना जायेगा एवं उसी से उसकी ई0डी0पी0 की तुलना की जायेगी।ओवरसीज लिकर की ई0डी0पी0 एक्स–कस्टम बॉण्ड मूल्य मानी जायेगी।''

उपरोक्त के होते हुये भी अद्धा तथा पौव्वा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में कमशः रू0 10/–तथा रू0 20/– से अधिक नियत करने की अनुमति दी जा सकेगी। जो आपूर्तकर्ता दिल्ली राज्य में आपूर्ति नहीं कर रहे हैं वे उत्तराखण्ड में किसी ब्राण्ड की ई0डी0पी0 अन्य किसी राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से अधिक नही रख सकेंगे। उनसे इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा अधिक वसूली गयी ई0डी0पी0 भी जमा करवाई जायेगी तथा अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(तीन)प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों पर शिकायत/निरीक्षण के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य (एम0आर0पी0) से अधिक की बिकी किये/पाये जाने पर निम्न अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगाः–

(1) प्रथम उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से एक प्रतिशत की राशि जब्त/प्रशमित की जायेगी।

(2) द्वतीय उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से दो प्रतिशतकी राशि जब्त/प्रशमित की जायेगी।

(3) तृतीय उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से तीन प्रतिशत की राशि जब्त/प्रशमित की जायेगी।

(4) चतुर्थ उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से चार प्रतिशत की राशि जब्त /प्रशमित की जायेगी।

(5) पंचम उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से पाँच प्रतिशत की राशि जब्त/प्रशमित की जायेगी।

(6) छठे उल्लंघन पर सम्बन्धित दुकान का अनुज्ञापन स्वतः निरस्त हो जायेगा, उक्त अनुज्ञापी को काली सूची में डाला जायेगा तथा सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन के थोक (एफ०एल०–2/ 2बी/2एस/2डब्ल्यू/ एफ0एल0–2बी (आई)) अनुज्ञापन 22

(1) एफ०एल०–2/2बी/2एस/2डब्ल्यू/एफ0एल0–2बी (आई) अनुज्ञापन विदेशी मदिरा के निर्माता अथवा ब्रॉण्ड के मालिकाना हक इकाईयोंको केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(2) निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से अभिप्रेत है। ऐसी भारतीय इकाईयाँ जो आयातित ब्राण्ड की स्कॉच व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, बीयर, वाईन, वोदका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती है तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है अथवा जिन्हें विदेश में निर्मित/बॉटलड विदेशी मदिरा को भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, इन्हें ऐसे ब्राण्ड्स का निर्माता माना जायेगा एवं इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।

(3) प्रदेश के थोक विदेशी मदिरा व्यापार हेतु एफ०एल०–2 अनुज्ञापन के लिये रूपये 10 लाख, एफ०एल०–2बी अनुज्ञापन के लिए रूपये 08 लाख रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।

4) प्रदेश के एफ०एल०–2(एस)/एफ०एल०–2 (डब्ल्यू))/एफ0एल0–2बी (आई) अनुज्ञापन के लिये रूपये 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।

प्रतिबन्ध यह कि 12,500 पेटी तक बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस रूपये 01 लाख 25 हज़ार देय होगी एवं 2,500 पेटी तक की बिक्री के लिए रूपये 62.5 हजार देय होगी।

विधिवत रूप से अधिकृत विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञापन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित निर्माता इकाई उत्तरदायी होगी।

बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी 23

1.	**बीयर** (एक) बियर 650एम0एल की 12 बोतल अथवा 325 एम0 एल0 की 24 पैक की पेटी	रू0 300
	(दो)500 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी।	रू0 465
	(तीन) 330 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी।	रू0 300
2.	**वाईन** 750एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी	रू0 300
3.	8 प्रतिशत तक तीव्रता वाली एल्कोहल ब्रेवरेज के 275एम0एल0 के 24 पैक की पेटी	रू0 300

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय असेस्मेंट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे। अन्य धारिता की बीयॅर, वाईन व अल्कोहलिक ब्रेवरेज की बोतलों में एसेसमेन्ट फीस की गणना सम्बन्धित की बोतलों के समानुपातिक आधार पर की जायेगी।

राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माताओं के उत्पादों की थोक बिक्री 24

राज्य से बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता या ऐसी इकाई जिसको सम्बन्धित ब्रान्ड के भारत में विक्रय करने के स्वामित्व/विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच इत्यादि के ब्राण्ड्स उत्तराखण्ड स्थित अपने बॉण्ड लाईसेंसों एवं एफ0एल0–2 के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा।

बाण्ड लाईसेन्सों की फीस निम्नानुसार होगी:–

1	**बी0डब्लू0एफ0एल0–2 बाण्ड (विदेशी मदिरा बियर एवं वाईन)**	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिये**
	(1) 25,000 पेटियों तक	रू0 10.00 लाख
	(2) 25,001 से 50,000 पेटियों तक	रू0 16.00 लाख
	(3) 50,001से 1,00,000पेटियों तक	रू0 24.00 लाख
	(4) 1,00,001 पेटियों से 300,000 पेटियों तक	रू0 32.00 लाख
	(5) 3,00,001 पेटियों से 500,000 पेटियों तक	रू0 38.00 लाख
	(5) 5,00,001पेटियों से 10,00,000 पेटियों तक	रू0 50.00 लाख
	(6)10,00,001 पेटियों से अधिक	रू0 63.00 लाख
2	**(क)बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी बाण्ड (केवल बियर के लिये) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए।**	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिये**
	(1) 50,000 पेटियों तक	रू0 13.00 लाख
	(2) 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक	रू0 23.00 लाख
	(3) 1,00,000 पेटियों से 300,000 पेटियों तक	रू0 30.00 लाख
	(4) 3,00,000 पेटियों से अधिक	रू0 38.00 लाख
	(ख)बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (आई) केवल विदेशी आयातित बीयर के लिए	
	(1) 1000 पेटियों की बिक्री तक	रू0 50 हज़ार
	(2) 1000 पेटी से अधिक	रू0 5000/–प्रत्येक 100 पेटी पर अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।

3	**बी0डब्लू0एफ0एल0–2एस बाण्ड (केवल स्कॉच के लिये)** (1) 100 पेटियों की बिक्री तक (2) 100 पेटी से ऊपर।	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिये** रू0 50 हजार मात्र रू0 25000/–प्रत्येक 50 पेटी परं अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।
4	**बी0डब्लू0एफ0एल–2डबलू बाण्ड (केवल वाईन के लिये)**	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिये** रू0 25 हजार मात्र
5	**एफ0एल0–1(प्रदेश की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर उत्पादों को थोक में एफ0एल0–2 को बेचने हेतु लाईसेंस)** (1) 50,000 पेटियों तक (2) 50,001 से 100,000 पेटियों तक (3) 100,001 पेटियों से अधिक पर	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिये** रू0 1.25लाख रू0 7.00 लाख रू0 13.00 लाख

राज्य से बाहर के विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 के निर्माताओं को बी0डब्लू0 एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू/2बी (आई) की सामान्य लाईसेंस फीस के अतिरिक्त अपनी एक से अधिक यूनिट्स की मदिरा/बीयर आयात किये जाने पर प्रति यूनिट से मदिरा आयात किये जाने हेतु अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में बी0 डब्लू0 एफ0एल0–2/2बी/2 एस/2डब्लू इत्यादि की सामान्य लाईसेंस फीस के 10 प्रतिशत अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में जमा करना होगा। ऐसे निर्माता स्वयं की विभिन्न यूनिट्स की मदिरा आयात किये जाने हेतु एक ही बाण्ड अनुज्ञापन रख सकेंगे।

लेबल रजिस्ट्रेशन फीस की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जायेंगी 25.

(एक)विदेशी मदिरा के लेबलों के अनुमोदन के पूर्व धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष रू0 **35,000/** (रूपये पैंतीस हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

(दो)बीयर/साईडर/कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के लेबलों के अनुमोदन के लिए धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष रू0 **25,000/–** (रूपये पच्चीस हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

(तीन) वाईन हेतु **35,000/–** रूपये (पैंतीस हजार रूपये) इकाई द्वारा समस्त लेबलों हेतु पंजीकरण शुल्क देय होगा।

(चार) गत् वर्ष स्वीकृत लेबिल के परिवर्तित न होने के दशा में केवल लेबिल पंजीकरण शुल्क जमा कर अवगत कराना होगा तथा उसका उपयोग किया जा सकेगा। परन्तु भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में यदि लेबिल में परिवर्तन आवश्यक हो तो नवीनीकरण मान्य नहीं होगा।

(पाँच) भविष्य में अनुमोदित कराये जाने वाले मदिरा के लेबिल पर आबकारी नियमों में दी गयी व्यवस्था के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

उपरोक्त दरें सिविल तथा सी0एस0डी0 आपूर्ति दोनों पर लागू होगी।

होटल बारों की लाईसेंस फीस का निर्धारण 26.

होटल बार लाईसेंस एफ०एल०–6(सम्मिश्र)बार की लाईसेंस फीस होटल के लिये निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

क्र0 स0	कमरों की संख्या	एफ0एल0–6 (सम्मिश्र) अनुज्ञापन के लिए वर्ष या वर्ष के भाग हेतु धनराशि।
1.	20 कमरों तक	रू0 05 लाख
2.	20 कमरों से अधिक किन्तु 60 से अनधिक	रू0 06 लाख

	तक	
3.	60 कमरों से अधिक	रू0 10लाख
4.	5 स्टॉर कैटेगरी युक्त होटल या वह होटल जिनका प्रति कमरा प्रतिदिन किराया रू0 15,000 या उससे अधिक हो	रू0 15 लाख
	गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम को एफ0एल0–06 **(सम्मिश्र)** बार अनुज्ञापन हेतु शुल्क। गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम के द्वारा एफ0एल0–06 **(सम्मिश्र)** बार अनुज्ञापन संचालन हेतु आउट सोर्स करने पर यह छूट उक्तवत् अनुमन्य रहेगी।	उपरोक्त निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

रेस्त्रां बार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है 27.

क्र0 सं0	**बार का प्रकार**	**लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग हेतु (रू0 में)**
1.	**रेस्त्रां** बार	**रू0 05 लाख**
2.	बीयर बार (1) रेगुलर बीयर बार (2) सीजनल बीयर बार	 रू0 **1.30लाख** रू0 **0.75 लाख**
3.	गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम को एफ0एल0–07 बार अनुज्ञापन हेतु शुल्क गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम के द्वारा एफ0एल0–07 बार अनुज्ञापन संचालन हेतु Out Sourceकरने पर यह छूट उक्तवत् अनुमन्य रहेगी।	उपरोक्त निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
4.	**क्लब बार** (1)क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए) (2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए) (3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए)	 रू0 03 लाख रू0 05 लाख रू0 10 लाख
5.	**अकेजनल बार परमिट (प्रतिदिन)** (1) वैडिंग प्वाइन्ट (2) रेस्टोरेन्ट/क्लब/होटल(वाणिज्यक् प्रयोजन हेतु) (3) निजी स्थान पर व्यक्तिगत् समारोह हेतु	 रू0 5 हजार मात्र रू0 10 हजार मात्र रू0 02 हजार मात्र

निजी स्थान पर व्यक्तिगत् समारोह हेतु प्रयोजन को छोड़कर अन्य ओकेजनल बार परमिट हेतु पार्टीज में मदिरा परोसने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में

रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस रू0 5000/— (पाँच हजार) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी।

निजी स्थान पर व्यक्तिगत् समारोह हेतु सम्बन्धित आवेदक निकटवर्ती मदिरा की फुटकर दुकान में रू0 2000/— अनुज्ञापन शुल्क जमा कर अनुज्ञापी से रसीद प्राप्त करेगा। उक्त रसीद एक दिवस के बार अनुज्ञापन हेतु अनुमति होगी, को वह जाँच के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को दिखायेगा। सम्बन्धित अनुज्ञापी अगले कार्य दिवस को उक्त धनराशि को कोषागार में जमा कर, चालान जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में मय विवरण उपलब्ध करायेगा।

यदि कोई एफ0एल0—11 परमिट धारक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा भविष्य में उसे एफ0एल0—11 परमिट नहीं दिया जायेगा।

किसी भी बार अनुज्ञापन या एफ0एल0—11 परमिट धारक द्वारा अपने बार परिसर में 85 डेसिबिल से अधिक तीव्रता का ध्वनि प्रदूषण अनुमन्य किया जाता है, तो उसे प्रदत्त बार अनुज्ञापन/एफ0एल0—11 परमिट निरस्त कर दिया जायेगा।

बार एवं क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत निकासी पर देय ड्यूटी 28.

थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0—2/2बी/2एस/2डब्लयू इत्यादि) से निकासी हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा पर एम0जी0डी0 की दर प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्नानुसार होगीः—

क्र0सं0	एक्स आसवनी मूल्य	एम0जी0डी0 की दर (प्रति बोतल) रू0में
1.	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	276
2	रू0 75.01 से रू0 95.00 तक	317
3.	रू0 95.01 से रू0 200.00 तक	372
4	रू0 200.01 से रू0 300.00 तक	408
5	रू0 300.01 से रू0 400.00 तक	459
6.	रू0 400.01 से अधिक	522
7	बीयर/ब्रीजर के 500 एम0एल0, 330 एम0एल0,325एम0एल0 एवं 275 एम0एल0के पैक, ओवरसीज लिकर के 50 एम0एल0 व 90 एम0एल0 के पैक	रू0 15/— प्रति पैक

(अ) बारों में उठान के सापेक्ष एम0जी0डी0 निम्नानुसार ली जायेगीः—

1	3,000 बोतल तक	एम0जी0डी0 उपरोक्तानुसार ली जायेगी।
2	3,001 से 5,000 बोतल तक	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 20प्रतिशत वृद्धि कर के निकासी दी जायेगी।
3	5,001 से 10,000 बोतलों तक	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 50 प्रतिशत वृद्धि कर निकासी दी जायेगी।
4	10,000 से अधिक बोतलों पर	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 75 प्रतिशत वृद्धि कर निकासी दी जायेगी।

(ब)होटल बारों को कमरों मे मिनी बार की सुविधा अनुज्ञापी के आवेदन करने पर दी जायेगी तथा दस हजार रू0 10,000/— (रू0 दस हजार मात्र) अनुज्ञापन शुल्क लिया जायेगा।

(स) बार में वाईन ग्लास में परोसी जा सकती है। लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ग्लास में परोसी जाने वाली वाईन को फ्रिज में रखा गया हो तथा उसका उपभोग एक दिवस में कर लिया जाये। यदि किसी कारण वश् एक दिवस में उपभोग सम्भव न हो तो अवशेष वाईन को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा तथा नष्ट कर दिया जायेगा।

होटलों एवं रेस्त्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिये आवेदकों की अर्हता 29.

(1) ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनकी आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 12 लाख अथवा

उससे अधिक हो। बियर एवं वाईन बार हेतु होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 8 लाख अथवा उससे अधिक हो।

वर्ष 2018—19 मे किसी भी होटल/रेस्त्रांबार जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष मे पके हुये भोजन की बिक्री रू0 12 लाख एवं बियर एवं वाईन बार मे रू0 8 लाख से कम रही हो, का लाईसेंस नवीनीकरण नही किया जायेगा।

(2) एफ0एल0—6(समिश्र)/7/7ए/7बी/7सी के बार आवेदन हेतु आवेदक को रू0 50 हजार बैंक ड्राफ्ट के रुप मे आवेदन शुल्क जो आबकारी आयुक्त के नाम प्रतिश्रुत हो जमा करना होगा तथा बार अनुज्ञापन जारी होने पर रू0 50 हजार का बैंक ड्राफ्ट आवेदन शुल्क के रुप में समायोजित कर लिया जायेगा, जो लाईसेंस फीस के अतिरिक्त होगा।

चारधाम यात्रा मार्ग पर अनुज्ञापन स्वीकृत न किया जाना 30.

प्रदेश में स्थित चार धाम (गंगोत्री, यमनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ) के यात्रा मार्गो एवं अधिसूचित स्थलों में किसी बार का अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अन्य मानक बार/बीयर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेगे।

सीजनल बार/बीयर एवं वाईन बार लाईसेंस 31.

सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे, सीजनल बार के लिये जिलें स्तर पर निम्नवत अनुज्ञापन समिति गठित की जायेगीः—

जिलाधिकारी— अध्यक्ष।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक — सदस्य।
जिला पर्यटन अधिकारी— सदस्य।
जिला आबकारी अधिकारी— सदस्य/सचिव।

उक्त अनुज्ञापन समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श कर स्थानीय/पर्यटन आवश्यकताओं के अन्तर्गत माननीय न्यायालय द्वारा अनुज्ञापनों की स्थिति के सम्बन्ध में पारित निर्णयों तथा स्थिति के सम्बन्ध में प्रख्यापित नियमावली के अन्तर्गत निर्णय लेगी। सीजनल बार हेतु समिति मुख्यतः बार की स्थिति, शान्ति व्यवस्था होटल/रेस्टोरेन्ट की पात्रता/भोजन का स्तर, पार्किंग की व्यवस्था, बार कक्ष में 20 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था तथा पुरूषों व महिलाओं हेतु अलग—अलग टॉयलेट की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्णय लेगी। उक्त बारों को मदिरा की आपूर्ति निकटतम एफ0एल0—5डी द्वारा की जायेगी, जिसका निर्धारण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा मदिरा परिवहन पास अनुज्ञापी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा जारी किया जायेगा एवं सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। उक्त बारों का अनुज्ञापन शुल्क 2.5 लाख रु प्रति छः माह हेतु निर्धारित होगा एवं सीजनल बीयर एवं वाईन बार हेतु लाईसेंस फीस रू0 0.75 लाख होगी। बियर बार में वाईन की बिक्री की अनुमति प्रदान की जायेगी।

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना 32.

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगीः—

(क) पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा कि शीरे की व्यवस्था वह आसवनी स्वंय करेगी। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, माईको पब ब्रुवरी, विन्टनरी/वाईनरी की स्थापना हेतु सुसंगत आबकारी नीति/नियमावली के अधीन जारी किये जायेंगे।

(ग) आसवनियों, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु शुल्क का निर्धारण निम्नवत रहेगाः—

पी0डी0—33 अनुज्ञापन हेतु रु0 03 लाख, बी—20 अनुज्ञापन हेतु रु0 02 लाख एवं वी—1 अनुज्ञापन हेतु रू0 5 हजार शुल्कनिर्धारित होगा।

परन्तु यह कि उपरोक्त अनुज्ञापनों की समयावधि बढाये जाने पर प्रतिवर्ष अनुज्ञापन शुल्क दोगुना हो जायेगा।

बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0— 3ए एवं एफ0 एल0एम0—3 हेतु लाईसेंस फीस 33.

व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन एवं कम तीव्रता की अल्कोहल ब्रिवरेज की भराई हेतु एफ0एल0—3ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0—3 के समान लाईसेंस फीस देय होगी।

ब्रुवरी की लाईसेंस फीस 34.

ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती है

(एक) अधिष्ठापित क्षमता 5,000 किलो लीटर तक रू0 50 हजार

(दो) अधिष्ठापित क्षमता 5,001 से 10,000 किलो लीटर तक रू0 01लाख

(तीन) अधिष्ठापित क्षमता 10,000 किलो लीटर से अधिक पर रू0 05 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त।

एफ0एल0एम0–3 की लाईसेंस फीस 35.

एफ0एल0एम0–3 की लाईसेंस शुल्क की दरें निम्नानुसार होगी:–

क्र0 सं	**विनिर्माणशाला की भराई क्षमता**	लाईसेंस शुल्क (प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए)
1.	पांच लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रू0 10लाख मात्र
2.	पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रू0 19लाख मात्र
3.	दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल (750 एम0एल0) तक	रू0 32लाख मात्र
4.	पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल (750 एम0एल0)तक।	रू0 57लाख मात्र
5.	पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रू0 88लाख मात्र
6.	पचास लाख से अधिक परन्तु पच्हत्तर लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रू0 1 करोड 19 लाख मात्र
7.	पचहत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड़ बोतल (750 एम0एल0) तक।	रू0 1 करोड 50 लाख मात्र
8.	एक करोड़ से अधिक परन्तु एक करोड पच्चीस लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रू0 1 करोड 75 लाख मात्र
9.	एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक बोतल (750 एम0एल0) ।	रू0 2 करोड 38 लाख मात्र

विदेशी मदिरा की बोतल भराई हेतु बाटलिंग फीस 36.

एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 01 लाख के अधीन बॉटलिंग फीस राज्य मे बिक्री हेतु रू० 10/– प्रति ए0एल0एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू० 6/–प्रति ए0एल0 दरों पर विदेशी मदिरा की भराई पर देय होगी।

एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अर्न्तगत बाटलिंग 37.

एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी में बाटलिंगफीस वर्ष के लिए न्यूनतम रू01 लाख के अधीन राज्य में बिक्री हेतु रू० 10/–प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतुरू० 6/–प्रति ए0एल0 दरों पर विदेशी मदिरा की भराई पर देय होगी। एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या: 983/XXIII/2012/04(55)/2012/ देहरादून/दिनांक: 24.12.2012 के नियम–7 (III) को विलोपित किया जाता है।

एफ0एल0–3 एवं एफ0 एल0–3ए अनुज्ञापन के अर्न्तगत बीयर/ब्रीजर पर देय बाटलिंग फीस 38.

एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,25,000/–(रू० एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के अधीन बियर पर बाटलिंग फीस निम्नानुसार देय होगी:–

क्र० सं०	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3 ए हेतु बाटलिंग फीस
1	रू0 1.15 प्रति ब0ली0	रू0 1.15 प्रति ब0ली0

बीयर के निर्यात पर बाटलिंग/लाईसेंस फीस 39.

बीयर के निर्यात पर बाटलिंग/लाईसेंस फीस निम्नानुसार देय होगी

क्र0 सं0	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3 ए हेतु बाटलिंग फीस
1	रू0 1.07 प्रति ब0ली0	रू0 1.07 प्रति ब0ली0

ब्रीजर के निर्यात पर बाटलिंग/लाईसेंस फीस 40.

ब्रीजर के निर्यात पर बाटलिंग/लाईसेंस फीस निम्नानुसार देय होगी

क्र0सं0	बाटलिंग फीस
01	**रू0 1.26 प्रति ब0ली0**

राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञापन की व्यवस्था 41.

देशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा देशी मदिरा की सुलभ आपूर्ति हेतु देशी मदिरा के निर्माताओं को आवश्यकतानुसार आपूर्ति के क्षेत्र के आवंटन का निर्णय सचिव, आबकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर उच्चानुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा।

राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री हेतु शुल्क का निर्धारण 42.

राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु न्यूनतम रू0 10 लाख के अधीन रहते हुए 2 रूपये 15 पैसा प्रति बल्क लीटर लाईसेंस फीस देय होगी। आपूर्तकर्ता आसवनी को अपने ब्राण्डस् का पंजीयन कराना होगा, इस हेतु पंजीयन शुल्क रू0 3 लाखमात्र निर्धारित किया जाता है। आसवनियों के पी0डी0–2 लाईसेंस की लाईसेंस फीस रू0 175/– प्रति किलो लीटर निर्धारित की जाती है। उक्त लाईसेंस फीस केवल पेय योग्य मदिरा पर ही देय होगा।

अपरिहार्य स्थिति में देशी मदिरा भराई की अनुमति 43.

अन्य आसवनी से ई०एन०ए०/आर०एस० कय कर देशी मदिरा भराई की अनुमति केवल सहकारी संस्था या उनके द्वारा संचालित आसवनी को अपरिहार्य स्थिति में दी जायेगी।

नवीनीकरण शुल्क का भुगतान 44.

आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु यदि वित्तीय वर्ष 2018–19 के देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी अपनी मदिरा की दुकान का नवीनीकरण मात्र एक वर्ष हेतु करवाना चाहेंगें, तो उन्हें तत्समय राज्य सरकार द्वारा आबकारी नीति के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों व नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

फुटकर बिकी की अधिकतम सीमा 45.

मदिरा दुकानों से देशी/विदेशी मदिरा/बीयर व वाईन की फुटकर बिकी की सीमा– देशी/विदेशी व मिश्रित मदिरा तथा बीयॅर की फुटकर दुकानों से फुटकर बिकी की अधिकतम सीमा (स्वंय के वास्तविक उपभोग हेतु) निम्नानुसार रहेगी:–

(1)भारत निर्मित विदेशी मदिरा	–09 ब0ली0
(2)ओवर सीज मदिरा	– 06 ब0ली0
(3)वाईन	– 09 ब0ली0
(4)बीयर–	–07.80 ब0ली0
(5)देशी मदिरा	– 06 ब0ली0

ट्रेस एण्ड ट्रैक प्रणाली 46.

(1)बॉण्ड अनुज्ञापन से मदिरा आयात करने पर आयात परमिट ऑन लाईन निर्गत करने की व्यवस्था की जायेगी।

(2)राज्य में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियन्त्रण व पारदर्शिता रखने के लिए सम्पूर्ण प्रणाली को ट्रेस एण्ड ट्रैक आधारित किया जायेगा। राज्य में होलोग्राम आपूर्तिकर्ता को ही ट्रेस एण्ड ट्रैक प्रणाली से सम्बन्धित समस्त कार्य करना होगा। ट्रेस एण्ड ट्रैक प्रणाली की लागत मदिरा के एम0आर0पी0 में परिलक्षित होगी। अलग से बजट की व्यवस्था नहीं की जायेगी।

(3)राज्य में देशी/विदेशी/बीयॅर/वाईन इत्यादि के आपूर्तक ट्रेस एण्ड ट्रैक के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन करने को बाध्य होगें तथा आपूर्तक इकाई को अपने व्यय पर इकाई में ट्रेस एण्ड ट्रैक सम्बन्धित हॉर्डवेयर व अन्य व्यवस्थायें करनी होगी।

(4)चीनी मिल में शीरे की मात्रा तथा आसवनी में स्प्रिट की मात्रा की गणना हेतु सम्बन्धित को ट्रेस एण्ड ट्रैक प्रणाली आधारित इलैक्ट्रौनिक फ्लो मीटर लगाने होंगे तथा अपने वाहन जिनमें मदिरा परिवहन की जाती है, को जी0पी0एस0/जी0पी0आर0एस0 युक्त करना होगा।

(5)ट्रेस एण्ड ट्रैक प्रणाली में मदिरा/बीयॅर/वाईन इत्यादि के उत्पादन से लेकर मदिरा की फुटकर अनुज्ञापन तक पहुँचाने तक, की आपूर्ति की प्रक्रिया को नियन्त्रित किया जायेगा।

(6)ट्रेस एण्ड ट्रैक प्रणाली 05 वर्ष हेतु आवंटित की जायेगी। ट्रेस एण्ड ट्रैक प्रणाली सिविल के साथ-साथ सैन्य आपूर्ति हेतु भी प्रभावी होगी।

ई0एन0ए0/आर0एस0 आयात शुल्क 47.

ई0एन0ए0/आर0एस0 आयात शुल्क रू0 03 प्रति ए0एल निर्धारित किया जाता है।

होलोग्राम सम्बन्धित आपूर्तक 48.

होलोग्राम सम्बन्धित आपूर्तक आसवनी स्तर पर लगाये जायेंगे। बी0आई0ओ0 ब्राण्ड पर सम्बन्धित प्रभारी आबकारी निरीक्षक के सम्मुख लगाये जायेगें।

आसवनी से सम्बन्धित नियम 49.

आबकारी अधिनियम में आसवनी से सम्बन्धित Rules Regulating Distilleries के नियम-4 में उल्लिखित रू0 01 लाख की प्रतिभूति को रू0 05 लाख तथा Uttar Pradesh Brewery Rules-1961 के नियम-5 में उल्लिखित रू0 20 हजार की प्रतिभूति धनराशि को रू0 02 लाख से प्रतिस्थापित किया जाता है।

अन्य व्यवस्थायें 50.

अन्य व्यवस्थायें वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

<u>**संख्या: 256(i)/XXIII/2018/04(01)/2018 तद्दिनांकित।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा० आबकारी मंत्री जी, को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जिला-हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 50 प्रतियां, अपर मुख्य सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4-सुभाष रोड़ देहरादून तथा 50 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़ देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
19/3/2018
(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

) Letter 2017 joshi